

उपस्थित। प्राची द्वारा यह प्रार्थना पत्र सहायक
वन संरक्षक, खिरौली द्वारा पृष्ठ सं. 57/2016
में पारित निर्णय दिनांक 23-7-2019 के विरुद्ध
अपील विलम्ब से प्रेषण करने के कारण विलम्ब
की अवधि को कटौत करने हेतु अर्जत किया
गया है। प्राची द्वारा प्रार्थना पत्र में अंश कि
तथ्यों के हटिरागव्यक्त हुए प्राची को प्रार्थना
पत्र स्वीकार कर अपील प्रेषण करने में हुए
विलम्ब की अवधि को कटौत किया जाता
है निर्णय बनाया गया। पत्रावली पं.सं. 1
सुमार दोसठ नम्बर से बना ले तथा मूल
अपील पत्रावली के साथ नयी है।

